

विधान सभा प्रश्न क्रमांक 3780 अतारांकित की जानकारी

(राशि रुपये करोड़ में)

मौसम/ वर्ष	बीमा कंपनी	बीमित कृषक	कृषक अंश प्रीमियम	राज्यांश प्रीमियम	केन्द्रांश प्रीमियम	कुल प्रीमियम राशि	राज्यांश राशि जारी करने की दिनांक	शेष राज्यांश प्रीमियम राशि	शेष केन्द्रांश प्रीमियम राशि
खरीफ 2016 अग्रिम प्रीमियम भुगतान	ए.आई.सी.	-	-	346.00	-	-	30.3.17	-	-
	आई.सी.आई. सी.आई. लोम्बार्ड	-	-	188.00	-	-	30.3.17	-	-
	एच.डी.एफ. सी. एर्गो	-	-	82.50	-	-	30.3.17	-	-
खरीफ 2016 अंतिम प्रीमियम भुगतान	ए.आई.सी.	2501141	211.10	346.52	692.52	1596.14	3.6.17	0	0
	आई.सी.आई. सी.आई. लोम्बार्ड	825613	104.58	188.21	366.231	847.02	3.6.17	0	0
	एच.डी.एफ. सी. एर्गो	523984	58.46	82.89	168.89	392.74	3.6.17	0	0
रबी 2016-17 अग्रिम प्रीमियम भुगतान	ए.आई.सी.	1624918	148.14	90.00	90.00	328.14	3.6.17	113.34	113.34
	आई.सी.आई. सी.आई. लोम्बार्ड	766114	61.27	81.60	88.83	231.70	3.6.17	81.18	81.18
	एच.डी.एफ. सी. एर्गो	496028	44.46	22.24	22.24	88.94	3.6.17	21.69	21.69
खरीफ 2017 अग्रिम प्रीमियम भुगतान	ए.आई.सी.	2116049	283.27	12.50	-	295.77	29.12.17	-	-
	आई.सी.आई. सी.आई. लोम्बार्ड	832707	158.02	12.50	-	170.52	29.12.17	-	-
	एच.डी.एफ. सी. एर्गो	466943	61.45	25.00	-	86.45	29.12.17	-	-
रबी 2017-18 अग्रिम प्रीमियम भुगतान	ए.आई.सी.	-	-	12.50	-	12.50	29.12.17	-	-
	आई.सी.आई. सी.आई. लोम्बार्ड	-	-	12.50	-	12.50	29.12.17	-	-
	एच.डी.एफ. सी. एर्गो	-	-	25.00	-	25.00	29.12.17	-	-

नोट:- 1. राज्यांश प्रीमियम जारी होने के पश्चात केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रांश प्रीमियम राशि बीमा कंपनी को भुगतान की जाती है ।

2. खरीफ 2017 एवं रबी 2017-18 के शेष राज्यांश प्रीमियम राशि का भुगतान बीमांकन के अंतिम आंकड़े बीमा कंपनी से प्राप्त होने पर उनकी मांग अनुसार किया जावेगा ।

अनुमोदित अधिकारी

20/3/2018

उप संचालक (प्र.बी.म.)
विधान सभा सचिवालय, नया दिल्ली
संचालनालय, भारत

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 3780 अतारसकित की जानकारी

परिशिष्ट- 2

खरीफ वर्ष 2016 (दावा राशि की जानकारी)

कंपनी का नाम	जिला	लामान्वित कृषक संख्या	दावा राशि (करोड) रु.
एच डी एफ सी इरगो	अशोकनगर	38246	144.52
	छतरपुर	13208	11.81
	दमोह	23075	29.8
	दतिया	28732	62.38
	गुना	57139	212.3
	ग्वालियर	6171	1.52
	पन्ना	8032	7.21
	सागर	122735	226.51
	शिवपुरी	31561	125.52
	टीकमगढ़	10906	18.83
	कुल योग	339805	840.40
आई सी आई सी आई लोम्बार्ड	आगर मालवा	17040	21.9
	अनूपपुर	75	0.0055
	देवास	2475	1.1
	मंदसौर	9156	11.03
	नीमच	22351	54.15
	रतलाम	7951	4.96
	शहडोल	66	0.09
	शाजापुर	5816	5.5
	उज्जैन	27463	31.4
	उमरिया	319	0.2
	कुल योग	92712	130.3355
ए आई सी	अलीराजपुर	2739	0.26
	बालाघाट	0	0.00
	बड़वानी	7880	2.62
	बैतुल	2467	1.76
	भिण्ड	429	0.22
	भोपाल	29032	49.72
	बुरहानपुर	0	0.00
	छिन्दवाड़ा	20227	6.22
	धार	8794	10.97
	डिण्डोरी	25	0.01
	हरदा	341	0.27
	होशंगाबाद	3815	1.25
	इन्दौर	1171	3.09
	जबलपुर	307	0.49
	झाबुआ	1374	0.19
	कटनी	0	0.00
	खण्डवा	8177	8.04
	खरगोन	0	0.00
	मण्डला	122	0.02
	मुरैना	570	0.22
	नरसिंहपुर	1016	0.24
	रायसेन	54741	93.26
	राजगढ़	30594	46.83
	रीवा	5398	11.72
	सतना	4556	10.29
	सिहोर	43861	59.29
	सिवनी	762	0.24
	श्यामपुर	4231	4.36
	सीधी	70	0.01
	सिंगरौली	811	0.19
	विदिशा	153440	403.61
	कुल योग	386950	715.41
	महायोग	819467	1686.15

87W

अभ्यास अधिकारी

५० ५० शासन

मय
अ संयोजक (कृषि)
विशेष सहायक सचिव (कृषि)
संसाधननालय, भोपाल

विधान सभा प्रश्न क्रमांक 3780 अतारांकित की जानकारी

खरीफ 2016 मौसम हेतु पटवारी हल्का नं.17 एवं 18 तहसील बड़ौदा तथा पटवारी हल्का नं. 67 तहसील श्योपुर में धान सिंचित फसल हेतु उपज में कमी पाई गई थी एवं क्षतिपूर्ति देय राशि का भुगतान उन पात्र कृषकों के लिये उन नोडल बैंकों को किया गया था, जिन बैंकों ने कृषकों का बीमा किया था। उक्त मौसम के तहत जिला सहकारी बैंक मर्यादित मुरैना (श्योपुर जिले की नोडल बैंक) ने प्रथमतः केवल डी.डी. व किसानों की सूची भेजी थी किन्तु घोषणापत्र नहीं भेजे थे, के अभाव में उक्त बैंक को छोड़कर अन्य बैंकों को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया गया था (योजनानुसार धान सिंचित फसल हेतु बीमा की इकाई पटवारी हल्का है अतः बैंक द्वारा पटवारी हल्कावार घोषणापत्र भेजना आवश्यक था।) तदुपरांत उप संचालक कृषि श्योपुर व उपरोक्त नोडल बैंक से प्राप्त घोषणापत्रों के आधार पर पुनः बीमा कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति का आंकलन कर बीमा कंपनी के सक्षम प्राधिकारी की ओर अनुमोदन हेतु दावे भेजे गये हैं। अनुमोदन प्राप्त होते ही क्षतिपूर्ति देय राशि का भुगतान पात्र कृषकों के लिये उक्त नोडल बैंक को किया जावेगा।

इसके अलावा, खरीफ 2016 मौसम में बड़ौदा तहसील के पटवारी हल्का नं.17 एवं 18 में मौसम के मध्य प्रतिकूलता के अंतर्गत अधिसूचना जारी की थी एवं तदनुसार सर्वे भी किया गया था, किन्तु योजना के अनुसार उक्त क्षतिपूर्ति विकल्प के अंतर्गत धान सिंचित फसल हेतु क्षतिपूर्ति देय नहीं है। साथ ही श्योपुर तहसील के पटवारी हल्का नं. 67 में धान सिंचित फसल हेतु जिला प्रशासन द्वारा अधिसूचना जारी की थी एवं तदनुसार सर्वे भी किया गया था। योजना के अनुसार मौसम के मध्य प्रतिकूलता क्षतिपूर्ति विकल्प के तहत क्षतिपूर्ति देय थी, किन्तु क्षेत्र दृष्टिकोण के आधार पर (फसल कटाई प्रयोगों के आंकड़े) अधिक क्षतिपूर्ति प्रतिशत के मान से पहले ही भुगतान किया गया है, अतः उक्त पटवारी हल्के के लिये उक्त क्षतिपूर्ति विकल्प के अंतर्गत कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं है।

उप संचालक (बीमा)
जिला प्रशासन तथा कृषि विभाग
स्वास्थ्यनालय, भोपाल

अनुभव अधिकारी

सं. प्र. शासन

कृषि विभाग (शाखा - 2).